कार्यालय वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल गुना (म.प्र.)
(Email-dfoguna@rediffmail.com, dfot.gun@mp.gov.in, Office Ph. 07542-259650 Fax- 07542-250954)

क्रमांक/डी.एम./2023/ 10213 गुना, दिनांक 30/11/2023

प्रति,

महाप्रबंधक म.प्र. जल निगम मर्यादित
परियोजना कियान्वयन इकाई
ग्वालियर, मध्यप्रदेश

विषयः— गुना जिले में जल जीवन मिशन अन्तर्गत राजघाट समूह जल प्रदाय योजना के तहत भूमिगत पाईप लाइन बिछाने हेतु 4.089 हेक्टयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 4.11 हेक्टेयर) म.प्र. जल निगम मर्यादित, ग्वालियर को उपयोग पर देने बाबत्। प्रकरण क्रमांक (FP/MP/WATER/146889/2021) में एन.पी.व्ही. जमा कराने संबधी सशोधित पत्र।

संदर्भः— 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रं/6-MPB063/2023—BHO बीएचओ दिनांक 22.10.2023
2. अपर प्रंधान मुख्य वनसरंक्षक कक्ष (कक्ष भू—प्रंबध), वनभवन म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ—5/1328/2023/10—11/4750 भोपाल, दिनांक 26.10.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के संलग्न भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रं/6—एमपीबी064/2023—बीएचओ दिनांक 23.10.2023 से प्रकरण में सैद्वान्तिक स्वीकृति जारी की है। स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तो के अनुसार अपर प्रंधान मुख्य वनसरंक्षक कक्ष (कक्ष भू—प्रंबध) वनभवन म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ—5/2023/10—11/4104 भोपाल, दिनांक 13.09.2023 के अनुसार संलग्न प्रपत्र में दर्शायी गई राशि ऑनलाईन कैम्पा मद में जमा कर, बैंक स्टेटमेंट की प्रति एवं चालन की प्रति यू.टी.आर. नंबर सहित प्रस्तुत करें। जिन शर्तो में वचन पत्र प्राप्त किया जाना है। पालन प्रतिवेदन के साथ भेजें।

प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि को भारतीय वनअधिनियम 1927 के तहत आरक्षित अथवा संरक्षित वन घोषित करने की अधिसूचना प्रारूप हेतु, प्राप्त गैरवनभूमि वनविभाग को हस्तांतरण/नामान्तगरण, फार्म पी—2, कब्जा रसीद आदि की प्रति भिजवाये, एवं प्रकरण में वनाधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर गुना के प्रमाण पत्र की प्रति भी इस कार्यालय को भिजवाये। भारत सरकार द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो का बिन्दूवार पालन प्रतिवेदन ऑनलाइन अपलोड कर, इस कार्यालय को भेजें, ताकि प्रकरण मे भारत सरकार से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सकें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

वनमंडलाधिकारी
वनमंडलगुना.(म.प्र.)

पृष्ठा.क्रमांक/डी.एम./2023/ 10214 गुना, दिनांक. 30/11/2023

प्रतिलिपि,:—

1. अपर प्रंधान मुख्य वनसरंक्षक (भू—प्रंबध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य वनसरंक्षक शिवपुरी वृत्त शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
वनमंडलगुना.(म.प्र.)

nal jal janral letter2022

अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (भू–प्रबंध) वन भवन भोपाल के पत्र/एफ–5/2023/10–11/4104 दिनांक 13.09.2023 से कैम्पा मद में राशि जमा करने का निर्धारित मांग पत्र।

प्रपत्र

सं कं	मद	रकबा (हेक्टेयर में)	घनत्व	ईको क्लास श्रेणी	राशि	रिमार्क (यदि कोई हो तो)
1	नेट प्रजेन्ट वेल्यू	4.089	0.2	V	41,10,304/–	–
				योग राशि	41,10,304/–	
2	वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि	10.000	–	–	1,08,52,729/–	उपरोक्त प्रकरण में आवेदक विभाग द्वारा 4.089 हेक्टेयर प्रभावित वनभूमि के विरूद्व 10.000 हेक्टेयर गैरवनभूमि उपलब्ध कराई गई है। उक्त प्रकरण के अलावा आवेदक संस्थान के अन्य प्रकरण भी ऑनलाईन प्रचलित है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :– (तालिका नीचे)
				योग राशि	1,08,52,729/–	
3	अन्य राशियां जो कैम्पा मद मे जमा होना है।	–	–	–	–	–
				महायोग	1,49,63,033/–	

अ.कं	ऑनलाईन कं	रकबा हेक्टेयर में	गैरवनभूमि हेक्टेयर में
01	02	03	04
01	FP/MP/WATER/146483/2021	1.992	10.000
02	FP/MP/WATER/146486/2021	2.624	
03	FP/MP/WATER/146489/2021	4.089	
	योग	8.705	10.000

उपरोक्तानुसार प्रकरणों में 8.705 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हो रही है। जिसके बदले में आवेदक संस्थान द्वारा 10.000 हेक्टेयर गैर वनभूमि उपलब्ध कराई गई है। जिस पर सभी प्रकरणों की एकजाई वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना वनपरिक्षेत्र आरोन , तहसील आरोन के ग्राम रामगिर खुर्द के सर्वे नं. 92/1 रकबा 10.000 हेक्टेयर में तैयार की गई है। अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक भू–प्रंबध के पत्र कं/एफ–5/1328/2023/10–11/4304 दिनांक 26.09.2023 के विन्दू कंमाकं 09 में दिये निर्देशानुसार जिस प्रकरण की सर्वप्रथम सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त होगी , उसी प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण की एक जाई राशि जमा कराई जावेगी। उक्त निर्देश पालन में राजघाट जल प्रदाय योजना द्वारा प्रस्तुत तीनो प्रकरणो में तैयार की गई है , वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि एक जाई जमा कराई जा रही है।

वनमंडलाधिकारी
वनमंडल गुना

F.C.A. PRAPTRA